



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 मार्च, 2011 ई0

फाल्गुन 26, 1932 शक सम्वत्

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।

क्रमांक 169/XXV-05(1-2)/2011

देहरादून, 17 मार्च, 2011

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अन्तर्गत प्रवासी भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अन्तर्गत सर्वसाधारण की जानकारी हेतु अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अन्तर्गत अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क, जिसे लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के माध्यम से समाविष्ट किया गया है, जो दिनांक 10 फरवरी, 2011 से प्रभावी हो चुका है, में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे प्रवासी निर्वाचक अर्थात् भारतीय नागरिक जो नौकरी, शिक्षा या अन्य किसी कारण से भारत में उसके सामान्य निवास स्थान पर निवासरत न हों, और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की हो, और उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वह भारत में अपने उस निवास स्थान पर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु अर्ह होगा, जो उसके पासपोर्ट में अंकित किया गया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अनुरूप, प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक जिसका भारत में निवास स्थान उत्तराखण्ड राज्य में हो, एवं उसके द्वारा 01-01-2011 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली गयी हो और वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करना चाहता है, एतद्द्वारा प्रारूप-6क पर उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं, जिस क्षेत्र के निवास स्थान का पता उसके पासपोर्ट में अंकित है। आवेदक हेतु दिशा-निर्देशों सहित प्रारूप 6क संलग्न है। आवेदक द्वारा दिशा-निर्देशों के अध्ययनोपरान्त उल्लिखित आवश्यक

दस्तावेजों के साथ प्रारूप 6क सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित किये गये प्रारूप 6क के साथ पासपोर्ट की स्वयं द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न करनी होगी।

उत्तराखण्ड राज्य की समस्त 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का विवरण विभागीय वेब-साईट <http://gov.ua.nic.in/ceouttranchal> पर उपलब्ध है।

राधा रतूड़ी,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

CHIEF ELECTORAL OFFICER, UTTARAKHAND

Notification under Rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960

Under Section 20A of the Representation of People Act, 1950, inserted *vide* Representation of People (Amendment) Act, 2010, which has come into effect w.e.f. 10 February, 2011, every overseas elector, i.e. Indian citizen who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to employment, education or otherwise, and has not acquired citizenship of any other country and who is not included in the electoral roll, is entitled to have his/her name registered in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence in India as mentioned in his/her passport is located.

In terms of rule 8A of the Registration of Electoral Rules, 1960, every overseas electors whose place of residence in India is located in the State of UTTARAKHAND who has completed 18 years of as on 01-01-2011, and is desirous of registering his/her name in the electoral roll, is invited hereby to submit claim application in Form-6A for registration in the electoral roll of the constituency in which his/her place of residence as shown in the passport is located. Form-6A alongwith guidelines for the applicants is given bellow. The claim application in form-6A may be either submitted in person directly to the registration officer of the constituency concerned or sent to such registration officer by post alongwith the document mentioned in Form-6A and the guidelines. When the claim application sent by post, is should be accompanied by photocopies of the relevant pages of the passport duly self attested.

Address of the registration officers of each of the 70 Assembly constituencies in the State of UTTARAKHAND can be seen on the website <http://gov.ua.nic.in/ceouttranchal>.

RADHA RATURI,

Chief Electoral Officer,
Uttarakhand.